संख्या-87/2019/1442/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च 2019

विषय: **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 की लम्बित देयता के भुगतान हेतु प्रदान की गयी व्यय की अनुमति में से अवशेष उपलब्ध धनराशि को वर्ष 2018-19 की लम्बित देयता के निस्तारण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4523/स0क0/शिक्षा-अ/2/103/2018-19, दिनांक-28.03.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में रू0-17235.10844 लाख धनराशि की व्यय की अनुमति प्रदान की गयी है, उक्त धनराशि में से अवशेष उपलब्ध धनराशि रू0-5325.09414 लाख को वर्ष 2018-19 की लम्बित देयता के निस्तारण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-71/ 2019/1010/26-3-2019 दिनांक 13.03.2019 जिसके द्वारा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत धनराशि के व्यय की प्रदत्त अनुमति से वित्तीय वर्ष 2017-18 के छात्रों लम्बित देयता के भुगतान की कार्यवाही के पश्चात अवशेष रू0-5325.09414 लाख की अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 की देयता के सापेक्ष व्यय किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या-163/2018/ 2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 एवं शासनादेश संख्या-208/2018/ 3384/26-3-2018 दिनांक 10-10-2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-87/2019/1442(1)/26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6-राज्य योजना आयोग-1/2
7-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in